संख्या- /X-2-2009-12(13)/2010
व-138

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 24 मई, 2010

विषयः-वर्ष 2010-11 हेतु स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010, शासनादेश संख्या-249/XXVII(1)/2010, दिनांक 04 मई, 2010, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-1391/53-रा0यो0आ0/वि0जि0यो0/2007-08 दिनांक 27 अप्रैल, 2010 एवं पत्र सं0-1407/123-रा0यो0आ0/प्लान/2010 दिनांक 29 अप्रैल, 2010 तथा आपके पत्र सं0-नि.1810/3-5 दिनांक 14 मई, 2010 मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संचालित योजनाओं हेतु संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार रू0 13,12,90,000/- (रू0 तेरह करोड़ बारह लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण / व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किस्तों में किया जाय.
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारुप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण-वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग(त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
6. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
7. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

D:\Anant Saxena 2010-11\Plan\Plan 10-11.doc

क्रमशः..........2

8. जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXVII(1)/2009, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
9. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
11. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
13. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
14. निर्माण कार्यो के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुवल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
15. विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे. उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी. केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा.
16. जिन योजनाओं में विगत वर्षो की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो इनके परिप्रेक्ष्य में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष होगा. भारत सरकार को समय से ऑडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जायं, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो.
17. **यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन भी है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अगली वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जायेगी, जबकि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में स्टेट्स रिपोर्ट अर्थात योजना कब प्रारम्भ की गई, कितने वर्षो के लिए योजना है, योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य कितना है तथा लक्षित योजना के सापेक्ष कितना भौतिक लक्ष्य अभी प्राप्त हो चुका है एवं कितना शेष है, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह भी कि गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्गत की गई समस्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा.**

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत संलग्न तालिका में अंकित विवरण अनुसार संगत योजनाओं/मानक मदों के नामे डाला जायेगा.

3- उक्त आदेश मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भ पत्र संख्या-423/नि0स0/स्टा0अफ0-मु0स0/2010 दिनांक 07 मई, 2010 के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है.

<u>संलग्नक-यथोपरि.</u>

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

D:\Anant\Sanction 2010-11\Plan\Plan10-11.doc

क्रमशः..........3

जी-138

संख्या- (1)/X-2-2010, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन.
9. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(सुशील पटनायक)
अपर सचिव

शासनादेश सं0- अ-138 /X-2-2010-12(13)/2010 दिनांक 24 मई, 2010 का संलग्नक-

(धनराशि रू0 हजार में)

क0सं0	लेखा शीर्षक/योजना का नाम/मानक मद	बजट प्राविधान	वर्तमान स्वीकृति
1	2	3	4
1	2406- वानिकी तथा वन्य जीवन 01- वानिकी 102- समाज तथा फार्म वानिकी 06-00- रोजगारपरक वृक्षारोपण योजना-टैक्सस बकाटा,च्यूरा,त्रिफला आदि जड़ी बूटियों का रोपण 24- वृहत निर्माण 29- अनुरक्षण	20000	10000
	योजना का योग	5000	2500
		25000	**12500**
2	800- अन्य व्यय 04-00- आरक्षित तथा सिविल सोयम वनों का विकास 24- वृहत निर्माण 29- अनुरक्षण	60000	30000
	योजना का योग	10000	5000
		70000	**35000**
3	06-00- वन पंचायत तथा वन विभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण 02- मजदूरी	100	50
	04- यात्रा व्यय	120	60
	07- मानदेय	50	25
	08- कार्यालय व्यय	50	25
	09- विद्युत देय	50	25
	15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	130	65
	18- प्रकाशन	50	25
	19- विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	50	25
	26- मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र	130	65
	29- अनुरक्षण	130	65
	42- अन्य व्यय	500	250
	44- प्रशिक्षण व्यय	3500	1750
	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का कय	100	50
	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	50	25
	योजना का योग	**5010**	**2505**
4	09-00- जंगली जानवर दवारा अथवा दुर्घटनाग्रस्त सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल नुकसान पर क्षतिपूर्ति/अनुग्रह राशि 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	20000	10000

		42- अन्य व्यय	1	0
		योजना का योग	20001	10000
5	12-00-	रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डैवलपमैंट		
		08- कार्यालय व्यय	55	28
		09- विद्युत देय	50	25
		10- जलकर/जल प्रभार	50	25
		11- लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	50	25
		12- कार्यालय फनीचर एवं उपकरण	80	40
		13- टेलीफोन पर व्यय	150	75
		15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	450	225
		16- व्यवसायिक सेवा	50	25
		18- प्रकाशन	250	125
		24- वृहत निर्माण	8000	4000
		25- लघु निर्माण	1000	500
		26- मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र	1000	500
		29- अनुरक्षण	1500	750
		42- अन्य व्यय	7501	3750
		46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	200	100
		47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50	25
		योजना का योग	20436	10218
6	13-00-	वनों की सुरक्षा हेतु/अतिक्रमण रोकने के लिये बाउण्डी वाल का निर्माण		
		15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	200	100
		23- गुप्त सेवा व्यय	100	50
		24- वृहत निर्माण	2500	1250
		25- लघु निर्माण	8000	4000
		26- मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र	100	50
		29- अनुरक्षण	800	400
		42- अन्य व्यय	100	50
		योजना का योग	11800	5900
7	14-00-	मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरूस्कार		
		42- अन्य व्यय	1500	750
		योजना का योग	1500	750
8	15-00-	अधिक उच्च प्राणि उद्यान, वन मनोरंजन चेतना केन्द्र एवं पर्यटक स्थलों का विकास		
		24- वृहत निर्माण	3000	1500
		25- लघु निर्माण	4000	2000

		26- मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र	400	200
		29- अनुरक्षण	3500	1750
		42- अन्य व्यय	600	300
		44- प्रशिक्षण व्यय	250	125
		46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	11	5
		47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50	25
		योजना का योग	**11811**	**5905**
9	17-00-	इको टूरिज्म		
		08- कार्यालय व्यय	75	37
		09- विद्युत देय	50	25
		10- जलकर/जल प्रभार	50	25
		11- लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	150	75
		12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	250	125
		13- टेलीफोन पर व्यय	250	125
		15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	500	250
		18- प्रकाशन	250	125
		20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1	0
		24- वृहत निर्माण	4000	2000
		25- लघु निर्माण	5000	2500
		26- मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र	2500	1250
		29- अनुरक्षण	5000	2500
		39- औषधि तथा रसायन	1000	500
		42- अन्य व्यय	1500	750
		44- प्रशिक्षण व्यय	500	250
		46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	100	50
		47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	250	125
		योजना का योग	**21426**	**10712**
10	18-00-	गूर्जर पुनर्वास योजना		
		25- लघु निर्माण	1000	500
		29- अनुरक्षण	1000	500
		42- अन्य व्यय	100	50
		योजना का योग	**2100**	**1050**
11	25-00-	जीवों के वास स्थलों का विकास		
		24- वृहत् निर्माण कार्य	6000	3000
		25- लघु निर्माण	6000	3000
		26- मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र	500	250
		29- अनुरक्षण	7000	3500
		42- अन्य व्यय	1000	500

		44- प्रशिक्षण व्यय	500	250
		योजना का योग	**21000**	**10500**
12	31-00-	वन अग्नि नियंत्रण हेतु जी0आई0एस0 यूनिट का गठन		
		16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	50	25
		26- मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र	250	125
		29- अनुरक्षण	600	300
		42- अन्य व्यय	500	250
		46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का कय	500	250
		47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	250	125
		योजना का योग	**2150**	**1075**
13	34-00-	वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु माइक्रोप्लान तैयार करना		
		08- कार्यालय व्यय	100	50
		11- लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	50	25
		15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	100	50
		18- प्रकाशन	100	50
		25- लघु निर्माण	2000	1000
		42- अन्य व्यय	1500	750
		44- प्रशिक्षण व्यय	1000	500
		योजना का योग	**4850**	**2425**
14	41-00-	वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य		
		20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5000	2500
		42- अन्य व्यय	500	250
		योजना का योग	**5500**	**2750**
	पूँजी लेखा-------			
	4406-	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय		
	01-	वानिकी		
	101	वन संरक्षण और विकास		
15	07-00-	ईको टास्क फोर्स द्वारा नवीकरण कार्य		
		24- वृहत निर्माण	15000	7500
		42- अन्य व्यय	25000	12500
		योजना का योग	**40000**	**20000**
		राज्य सेक्टर योजनाओं का योग	**262584**	**131290**

(वर्तमान स्वीकृति रू0 तेरह करोड़ बारह लाख नब्बे हजार मात्र)

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

I:\Aman\Sanction 2010-11\Plan Plan10-11.doc